–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 56/2021

उनवान

संतोष पत्नी गोपाल जाति जाट निवासी ग्राम जसवंतपुरा, नसीराबाद
—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. किशनलाल पुत्र श्योचन्द
2. भंवरलाल पुत्र किशनलाल
3. बुद्विशंकर पुत्र बद्री
4. गोदू पुत्र रामचन्द्र
5. मदन पुत्र रामचन्द्र
6. कालूराम पुत्र रामचन्द्र
7. नाना पुत्र रामधन
8. ग्यारसीलाल पुत्र रामदेव समस्त जाति जाट निवासी ग्राम झबरकिया, लोहरवाडा, नसीराबाद

9 मैनजर, बैंक आफॅ बडौदा शाखा रामसर, नसीराबाद

10. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 व 8 जरियें अधिवक्ता श्री कैलाश बीजावत
9 अनुपस्थित, 10 जरियें राज. पैरोकार

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 15.5.25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व प.म. लोहरवाडा के खाता संख्या 1014/993 किता 7 रकबा 1.28 की आराजी वादी की खातेदारी काश्तकारी की है। उक्त आराजी पर वादी खेतीबाडी कर अपना व परिवार का पालन पोषण करती है। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 ने आराजी मुतनाजा पर बलपूर्वक हल चला दिया तथा अवैध कब्जा करने की धमकी देते हुये गाली गलौच की गयी। प्रतिवादी के उक्त कार्य को रोकने के लिये व्यादेश ही अंतिम विकल्प है। अतः प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 ने जवाब मय प्रतिदावा पेश [illegible] वादी ने उक्त आराजी दोषपूर्ण तरीके से राजस्व अभिलेख में दर्ज [illegible] जवाबकर्ता का निर्विवाद कब्जा है। अतः वाद सव्यय खारिज किया ज[illegible] संख्या 9 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:15:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया आराजी मुतनाजा वादी की खातेदारी होने से वादी स्थायी निषेघाज्ञा प्रापत करने का अधिकारी है ?

—— वादी

2. आया आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का कब्जा होने से वाद खारिज योग्य है ?

—— प्रतिवादी

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये व साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने कोई अभिलेख पेश नही किये व समुचित अवसर देने के उपरान्त भी साक्ष्य पेश नही की।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् किया जाता है :–

तनकी संख्या 1 :–

ग्राम व प.म. लोहरवाडा के खाता संख्या 1014/993 किता 7 रकबा 1.28 की आराजी पवादी की खातेदारी की है। उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया गया है। वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेघाज्ञा प्राप्त करने हेतु मूल वाद पेश किया है। आराजी मुतनजा वादी की खातेदारी में दर्ज नही है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर क्या हक व अधिकार है, यह उनके द्वारा स्पष्ट नही किया है। वादी आराजी मुतनाजा का रिकार्डेड खातेदार है। प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार आराजी मुतनाजा पर सिद्व नही होता है। वदी द्वारा उक्त वाद में धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम भी अंकित की है किन्तु अनुतोष में धारा 183 का अंकन नही किया हैना ही बेदखली का अनुतोष चाहा है। अतः वादी विरूद्व प्रतिवादी स्थायी निषेघाज्ञा प्रापत करने का अधिकारी है। तनकी बहक वादी निर्णित की जाती है।

2. **तनकी संख्या 2** :– तनकी संख्या 1 के विवेचन के अनुसार आराजी मुतनाजा वादी की खातेदारी होने से वादी विरूद्व प्रतिवादी स्थायी निषेघाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 ने जवाब मय प्रतिदावा पेश कर निवेदन किया कि वादी ने उक्त आराजी दोषपूर्ण तरीके से राजस्व अभिलेख में दर्ज करवायी है। आराजी मुतनाजा पर जवाबकर्ता का निर्विवाद कब्जा है। किन्तु इसके समर्थन में प्रतिवादीगण ने कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नही किये है। आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादीगण को कोई विधिक अधिकार नही है। राजस्व अभिलेख में भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज है। वाद के खण्डन के कोई अभिलेख पत्रावली पर नही है। तनकी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम व प.म. लोहरवाडा के खाता संख्या 1014/993 किता 7 रकबा 1.28 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाता हे कि आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:15:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

संतोष बनाम किशनलाल

दावा बाबत :— 88, 188, 183 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर —56/2021
पेश करने की दिनांक —16.06.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई कैलाश बीजावत व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम व प.म. लोहरवाडा के खाता संख्या 1014/993 किता 7 रकबा 1.28 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जाता हे कि आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 15 माह 5 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:15:08 IST
Reason: SelfAttested